

सं.ए.12018/2/2018-डीआर
भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग
(औषधि विनियमन अनुभाग)

निर्माण भवन, नई दिल्ली
दिनांक: 10 अक्तूबर, 2022

सार्वजनिक सूचना

यह मंत्रालय केंद्रीय औषधि परीक्षण प्रयोगशाला (सीडीटीएल), हैदराबाद, केन्द्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ), स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में वरिष्ठ वैज्ञानिक सहायक के पद के भर्ती नियम तैयार करने के लिए एक प्रस्ताव की जाँचकर रहा है। इस संबंध में, भर्ती नियमों का मसौदा तैयार कर लिया गया है, जिसकी एक प्रति संलग्न है।

2. इसे अंतिम रूप देने से पहले, इस मामले में सभी हितधारकों की टिप्पणियाँ, यदि कोई है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की वेबसाइट पर इस अधिसूचना की तारीख से तीस दिनों की अवधि के भीतर, आमंत्रित की जाती हैं। हितधारकों से निर्दिष्ट अवधि के अंदर प्राप्त टिप्पणियों/आपत्तियों/सुझावों पर मंत्रालय द्वारा भर्ती नियमों को अंतिम रूप देने से पहले नियमों/आवश्यकता के अनुसार विचार किया जाएगा।

3. टिप्पणियाँ अधोहस्ताक्षरी को कमरा संख्या 434-सी, 'सी' विंग, निर्माण भवन, नई दिल्ली-110011 के पते पर भेजी जाएं या कृपया drugdiv-mohfw@gov.in पर भेजी जाएं।

संलग्नक: यथोपरि

(बिकाश आर माहतो)
अवर सचिव, भारत सरकार,
दूरभाष:- 011-23061141

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में लेवल या वेतनमान	चयन या अचयन पदा।	सीधी भर्ती के लिए आयु-सीमा।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
वरिष्ठ वैज्ञानिक सहायक	02* (2022) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	सामान्य केंद्रीय सेवा, समूह 'ख' अराजपत्रित, अननुसचिवीय	लेवल 7	चयन	अधिकतम 30 वर्ष टिप्पण 1: सरकारी कर्मचारियों के लिए केंद्र सरकार द्वारा जारी अनुदेशों अथवा आदेशों के अनुसार 5 वर्ष तक की छूट। टिप्पण 2: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चंबा-जिले के पांगी उप प्रभाग, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)
सीधे भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।			क्या सीधी भर्ती के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी।		परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो।
(7)			(8)		(9)
अनिवार्य: कैमिकल टेस्टिंग स्ट्रीम के लिए- रसायन विज्ञान अथवा जैवरसायनिक विज्ञान अथवा फार्मसी अथवा फार्माकोलोजी में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यताप्राप्त संस्थान/विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर डिग्री अथवा एसोसिएट- शिप डिप्लोमा ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ कैमिस्ट (इंडिया)			आयु: नहीं शैक्षिक अर्हताएं: हां		सीधी भर्ती के लिए 02 वर्ष

<p>अथवा</p> <p>बायोलोजिकल टेस्टिंग स्ट्रीम के लिए- मेडिसिन अथवा माइक्रोबायलोजी अथवा फार्माकोलोजी अथवा बायोटेक्नोलोजी में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त संस्थान/विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर डिग्री</p> <p>अनुभव</p> <p>औषधि परीक्षण और मानकीकरण तथा अनुसंधान में 02 वर्ष का अनुभव</p> <p>नोट 1: अन्यथा सुयोग्य अभ्यर्थियों के मामले में कर्मचारी चयन आयोग अथवा सक्षम प्राधिकारी के विवेक पर अर्हता में छूट दी जा सकती है।</p> <p>नोट 2 : अनुभव संबंधी अर्हता में कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेक पर छूट उस मामले में दी जा सकती है जब चयन के किसी चरण में कर्मचारी चयन आयोग का यह मानना हो कि अपेक्षित अनुभव रखने वाले अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी उनके लिए आरक्षित पदों को भरने के लिए पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं हैं।</p>			
<p>भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।</p>	<p>प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण किया जाएगा।</p>	<p>यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।</p>	<p>भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।</p>
<p>(10)</p>	<p>(11)</p>	<p>(12)</p>	<p>(13)</p>

<p>प्रोन्नति अन्यथा सीधी भर्ती द्वारा</p>	<p>प्रोन्नति</p> <p>(1) नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उस ग्रेड में लेवल 6 में कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक के रूप में 05 वर्ष की सेवा</p> <p>टिप्पण 1 : जहां कनिष्ठ पदधारी ने अपनी अर्हक अथवा पात्र सेवा पूरी कर ली हो और उन पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनके वरिष्ठ पर भी विचार किया जायेगा बशर्ते कि उनकी अर्हक सेवा अथवा पात्र सेवा आधे से अधिक अथवा दो वर्ष, जो भी कम हो, से कम न हो तथा उनके कनिष्ठों जिन्होंने अर्हक तथा पात्रता सेवा पूरी कर ली हो, के साथ आगामी उच्चतर ग्रेड में पदोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।</p> <p>टिप्पण 2 : प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा के परिकलन के उद्देश्य से की गई सेवा।</p>	<p>समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति में (प्रोन्नति/ स्थायीकरण के विचारार्थ) शामिल होंगे।</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. औषधि नियंत्रक, (भारत), स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय - अध्यक्ष 2. निदेशक/उप सचिव, औषधि-स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय-सदस्य 3. निदेशक, (सीडीएससीओ के अधीन प्रयोगशाला), स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय- सदस्य 	<p>लागू नहीं</p>
---	---	--	------------------

[फा.सं.ए.12018/2/2018-डीआर]

(बिकाश आर माहतो)
अवर सचिव, भारत सरकार